22-01-25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार राज ने जवाब पेश प्रस्तुत ना कर सीधे बहस का निवेदन किया। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज को सुना गया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थिया का प्रा०पत्र 251 ARTA का अदम हाजिरी अदम पैरवी में दिनांक 29.06.22 को खारिज किया गया जिसे प्रार्थिया द्वारा रिस्टोर कर पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार राज द्वारा इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। अतः प्रार्थिया का प्रा०पत्र O-9 R-4 एवं 151 CPC स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर इस कार्यालय के मुकदमा सं. 1598/2021 (2021/973 GCMS) में दिनांक 29.06.22 की कार्यवाही निरस्त की जाकर पुनः नम्बर पर दर्ज किया जावे। पत्रावली बाद तकमील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपक चन्दन)
RAS.